उद्योगों के लिए बेची जा सकेगी एससी-एसटी की भी जमीन

भूमि उपयोग प्रबंधन का सरलीकरण करेगी योगी सरकार

राज्य ब्यूरो, लखनऊ : सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम (एमएसएमई) नीति-2022 लागू करने के बाद योगी सरकार ने औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति-2022 का प्रारूप भी तैयार कर लिया है। इस नीति में तमाम पूंजीगत सुविधाओं के साथ उद्योगों के लिए जमीन की बाधा दूर करते हुए राजस्व संहिता में भी संशोधन करने की तैयारी है। इसके बाद उद्योगों के लिए अनुसूचित जाति-जनजाति की जमीन भी बेची जा सकेगी।

मुख्यमंत्री योगी पहले ही निर्देश दे चुके थे कि ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के पहले ही आवश्यकता के अनुसार विभिन्न नीतियों में संशोधन कर लिया जाए। इसी के तहत अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग ने औद्योगिक विकास एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति-2022 का प्रारूप तैयार किया गया है। इस नीति में विशेष प्रस्ताव यह है कि ग्राम समाज की बंजर और अन्य अनुमन्य भूमि 50 वर्ष के लिए सर्किल रेट के एक प्रतिशत पर पट्टे पर दी जाए। पट्टे को 50 वर्ष बाद भी विस्तारित किया जा सकेगा। सरकारी भूमि उपलब्ध कराने का निर्णय मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित उच्चस्तरीय समिति करेगी। उद्योगों की स्थापना के लिए भूमि उपयोग प्रबंधन का सरलीकरण भी किया जाएगा। जैसे कि कृषि भूमि को गैर-कृषि भूमि में परिवर्तित करना, भू-उपयोग में परिवर्तन, ग्राम समाज की भूमि का निजी भूमि से विनिमय और अनुसूचित जाति-जनजाति की भूमि के विक्रय की अनुमति दी जा सकेगी। लैंडबैंक की चिंता करते हुए ही यह व्यवस्था बनाई जा रही है कि सार्वजनिक क्षेत्र की बीमार इकाइयों के स्वामित्व वाली भूमि का भी उपयोग किया जाए। वहीं, औद्योगिक विकास प्राधिकरणों के क्षेत्र में स्थित ग्राम समाज की भूमि को प्राधिकरणों में निश्शुल्क शामिल किया जाएगा।

नीति में प्रस्ताव है कि भूमि आवंटन के लिए आवेदन भी निवेश मित्र पोर्टल के माध्यम से ही लिए जाएंगे। मेगा और उससे उच्च श्रेणी की परियोजनाओं के लिए फास्ट ट्रैक के आधार पर भूमि का आवंटन किया जाएगा। इसमें 100 प्रतिशत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश वाली इकाइयां विशेष रूप से शामिल होंगी।

इन्वेस्ट यूपी के सीईओ अभिषेक प्रकाश ने कहा कि अब उद्यमी पूंजीगत अनुदान, नेट एसजीएसटी की प्रतिपूर्ति और भारत सरकार की प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव योजना के तहत प्राप्त प्रोत्साहनों पर टाप-अप में से कोई भी एक विकल्प चुन सकेंगे। मध्यांचल एवं पश्चिमांचल में अधिकतम 40 करोड़ और बुंदेलखंड एवं पूर्वांचल में अधिकतम 45 करोड़ की सीमा के अधीन पात्र को स्थायी पूंजी निवेश (भूमि खरीद को छोड़कर) के 25 प्रतिशत का पूंजीगत अनुदान दिया जाएगा।

लखनऊ में शुक्रवार को नव चयनित आबकारी आरक्षी को नियुक्ति पत्र देते मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, साथ में अपर मुख्य सचिव आबकारी संजय भूसरेड्डी • जागरण

जीवन में आगे बढ़ने के लिए ईमानदारी व लगन जरूरी

लखनऊ : मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को आबकारी विभाग में नियुक्त 332 आरक्षियों को नियुक्ति पत्र देने के साथ ही जीवन में आगे बढ़ने के लिए ईमानदारी और पूरी लगन से नौकरी करने की सीख दी।

देखें » 13

- बाधा दूर करने के लिए राजस्व संहिता में भी संशोधन करने की तैयारी
- नई औद्योगिक नीति में प्रस्ताव, पट्टे पर मिलेगी ग्राम समाज की भूमि

6 उत्तर प्रदेश को एक ट्रिलियन डालर की अर्थव्यवस्था बनाने के लिए अधिक से अधिक निवेश को आकर्षित करना आवश्यक है। इसे देखते हुए ही उद्यमियों-कारोबारियों को अधिक सहूलियत और प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से नई नीति का प्रारूप तैयार किया गया है।

अरविंद कुमार, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त

स्टांप शुल्क में यूं मिलेगी छूट

- बुंदेलखंड, पूर्वांचल में शत प्रतिशत
- मध्यांचल एवं पश्चिमांचल (गौतमबुद्धनगर व गाजियाबाद को छोड़कर) में 75 प्रतिशत
- गौतमबुद्धनगर, गाजियाबाद में 50 %

औद्योगिक इकाइयों की श्रेणियां

- वृहद- 50 करोड़ रुपये से अधिक, लेकिन 200 करोड़ रुपये से कम
- मेगा- 200 करोड़ रुपये से अधिक, लेकिन 500 करोड़ रुपये से कम
- सुपर मेगा- 500 करोड़ रुपये से अधिक, 5000 करोड़ रुपये से कम
- अल्ट्रा मेगा- 5000 करोड़ या ज्यादा